ड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 931

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

दो टोल बूथों के बीच की दूरी

931. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के नए नियमों के अनुसार दो टोल बूथों के बीच की दूरी के संबंध में प्रावधानों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अहमदाबाद - इंदौर राजमार्ग-59 पर दाहोद और गोधरा के बीच बठवाड़ा और वावड़ी गांवों में बनाए गए टोल बूथों के बीच की दूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद - इंदौर राजमार्ग मार्ग संख्या-59 पर दाहोद और गोधरा के बीच बठवाड़ा और वावड़ी गांवों में निर्मित उक्त टोल बूथों के बीच की दूरी नए नियमों के अनुसार निर्धारित दूरी से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टोल बूथों को हटाने के लिए इस संबंध में कोई आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) इन बूथों को कब तक हटाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का संग्रहण और निर्धारण) नियमावली, 2008 के अनुसार शुल्क प्लाजा स्थापित किए जाते हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही खंड पर और एक ही दिशा में कोई अन्य शुल्क प्लाजा साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि जहां निष्पादन प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवश्यक समझे, वह रियायतग्राही को साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर एक और शुल्क प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। एक शुल्क प्लाजा दूसरे शुल्क प्लाजा से साठ किलोमीटर

की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा शुल्क प्लाजा स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए शुल्क संग्रहण के लिए है।

इसके अलावा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के बंद होने की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाजा स्थापित किया जा सकता है।

(ख) से (ग) पुराना रारा-59 (नया रारा-47) के चैनेज 146.400 पर अवस्थित बठवाड़ा शुल्क प्लाजा और चैनेज 110.436 पर अवस्थित वावडी शुल्क प्लाजा के बीच की दूरी है 35.964 किमी. है। मौजूदा शुल्क नियमों के अनुसार यह स्वीकार्य है।

(घ) जी, हां। इस संबंध में संदर्भों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**संदर्भों का विवरण**	**ब्यौरा**
1.	बठवडा शुल्क प्लाजा को बंद करने के संबंध में श्री जसवंतसिंह भाभोर, माननीय सांसद (लोक सभा), दाहोद का दिनांक 04.08.2022, 13.12.2022, 05.04.2023, 27.07.2023 और 07.12.2023 का संदर्भ	माननीय सदस्य को दिनांक 24 नवंबर, 2022 के पत्र सं जीजे008436 के माध्यम से उत्तर दे दिया गया है।
2.	वावडीखुराद शुल्क प्लाजा को हटाने के संबंध में श्री रतनसिंह एम राठौड़, माननीय सांसद (लोक सभा), पंचमहल का दिनांक 24.03.2022 और 19 दिसंबर, 2023 का संदर्भ	माननीय सदस्य को दिनांक 24 नवंबर, 2022 के पत्र सं जीजे007824/7081 के माध्यम से उत्तर दे दिया गया है।
3.	वावड़ीखुराद शुल्क प्लाजा को हटाने के संबंध में श्री प्रभातसिंह पी चौहान, माननीय पूर्व सांसद (लोक सभा), पंचमहल का दिनांक 02.07.2022 का संदर्भ	वावडीखुर्द शुल्क प्लाजा की स्थापना निर्धारित शुल्क नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की गई है।

(ङ.) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****